● Publishing Date : November 30, 2017 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 नवम्बर, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 6

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

वर्ष 2017 का भन्डारण सत्र समाप्त हो चुका है। यह सत्र शीतगृहस्वामियों के लिए काफी कठिनाई का रहा। पूरे सत्र में आलू की निकासी तो होती रही, परन्तु आलू के भाव नहीं बढ़े। सुचारू गति से निकासी होने के बाद भी, प्रायः हर शीतगृह में 5–7 प्रतिशत आलू बच रहा। इसमें अधिकाशतः वह आलू रहा जो साइज में छोटा था, जिसकी क्वालिटी थोड़ी गिर गई थी और या फिर अंकुरण हो गया था, या हल्का सा दागी हो गया था। शीतगृहस्वामियों ने बहुत ही साहस के साथ इस परिस्थिति का सामना किया और हर तरह के यत्न किए कि शीतगृहों से आलू निकल जाए और उन्हें बचे हुए आलू को फेकना ना पड़े।

आलू को निकालने में किसानों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई, यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों के शीतगृहस्वामियों ने यह तक कह दिया कि भन्डारणकर्ता आलू अभी निकाल लें और भाड़ा अगले वर्ष देते रहें। कुछ जगहों पर आलू को मुफ्त बटवाने का भी इन्तजाम किया गया। किसी भी भाव पर बिक्री के लिए ट्रक लोड करके बाहर की मण्डियों में भेजा और अधिकाशतः तो पूरी–पूरी रकम भी साफ हो गई। →

इससे न सिर्फ शीतगृहस्वामियों को आघात लगा है परन्तु भन्डारणकर्ता किसान भी बहुत दुखी है। कई दफा सरकार से कुछ छूट की अपेक्षा की गई, जैसे मण्डी टैक्स मे छूट या आलू पर 50 रूपए या 100 रूपए पैकट की छूट, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया। सरकार द्वारा जो छोटी मोटी छूट दी भी गई, वह भी कागजों तक सीमित हो कर रह गई। देखिए, अगले सीजन मे क्या होता है। यदि आलू का उत्पादन इसी मात्रा मे रहा तो फिर परेशानी आ सकती है। वैसे इस साल बीज आलू के लिए परेशानी का मुख्य कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल मे देर तक वर्षा होना भी रहा, जिसकी वजह से समय पर बुआई नही हो पाई और जो बीजा आलू बोने के काम आ जाता वह नहीं जा पाया। हिम्मत ना हार कर, शीतगृहस्वामियों को पूरी शक्ति के साथ अगले सीजन के लिए जुट जाना चाहिए। अभी तक यह स्पष्ट नही हुआ है कि आलू की बुआई अगली फसल के लिए कम है या नही। शुरू मे तो काफी कम होने की खबर आ रही थी, धीरे धीरे यही सुनने मे आ रहा है कि आलू बुआई का क्षेत्रफल फिर पिछले वर्ष के बराबर होता जा रहा है। आलू कितना भी हो, शीतगृहो को तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। कोल्ड स्टोरेज की पूरी मरम्मत ठीक से करनी है, कोई चूक ना रहने पाए, 9/10 महीने का सवाल होता हैं। हमे काम पूरा करने के लिए तीन महीने का समय मिल पाता है। इन्ही दिनो मे शीतगृहो का स्टाफ भी छुटटी मॉगता हैं। उन्हे भी छुटटी के लिए और समय नही मिलता है।

मरम्मत के लिए मुख्य मुख्य बातें :–

1. यदि आपके शीतगृह मे भूसी है और वह कही कही पर गीली है, तो उसे तुरन्त पल्टवाए या बदलवा दें। भूसी के गीले होने का अर्थ होता है वहाँ पर लीक है, इसे भी बन्द करने की तरकीब करे या फिर भूसी की मात्रा कम है तो उसे बढाएँ।
2. सारे आमोनियाँ पाइप को अच्छी तरह चेक करवा लें। यदि कहीं देखे इसमें छोटे–मोटे गड्ढे पड़ गए है तो उन पाइपों को काट कर फौरन बदलवा दें। गड्ढे पड़ जाने से पाइप एक दम कमजोर पड़ जाते है।
3. बंकर क्वयाल की ट्रे की सफाई बहुत जरूरी है। क्वयाल से निकलने वाले पाइप भी कही रूके हुए न हो, चेक करें।
4. खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह टाइट होने चाहिए। 7/8 महीने के इस्तेमाल के बाद दरवाजों में लीक पैदा हो जाना स्वाभाविक है।
5. चहलियों की मरम्मत बहुत जरूरी है।
6. इन्सुलेशन को जरूर चेक करें। जहाँ कही भी चूहे खा गए हो उस जगह मरम्मत बहुत जरूरी है। चूहों को ना पनपने दें। कमरों से बिखरा हुआ आलू जरूर बीन लें। इससे चूहे पैदा होते है। चूहा–मार दवाओ का अवश्य प्रयोग करें।
7. कंडेन्सर टैंक वा कंडेन्सर की सफाई कराना ना भूले। कंडेन्सर में इस्तेमाल होने वाले पानी के →

पाइपों के अन्दर मोटी पपडी जमा हो जाती हैं, उसे जरूर सफा करवाए। कंडेन्सर पाइप के ऊपर भी पपड़ी जरूर निकलवा दें।

8. यदि आपका Delivery Pressure 175 PSI और Suction Pressure 35 PSI रहता है तो बहुत अच्छा है। 175 से ऊपर चलने पर देखें कि आपके कंडेन्सर की क्षमता कम तो नही है। उस पर पूरी हवा लग रही है और सही पानी गिर रहा है।

आलू भन्डारण सत्र को 30 नवम्बर तक बढा देने के सम्बन्ध में :–

इस सम्बन्ध में हमने एक पत्र प्रमुख सचिव उद्यान को लिखा है। इसमें यह बताया है कि आलू को 7 या 8 महीने से अधिक भन्डारित नही किया जा सकता और यह अवधि 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाती है। इस के बाद आलू तेजी से खराब होने लगता है जैसा कि इस साल हुआ, 15 प्रतिशत से अधिक आलू शीतगृहों में खराब हालत में पहुँच गया।

इस वक्त नई फसल भी आ जाती है और कोल्ड स्टोरेज का आलू किसी भाव नहीं बिकता। यदि फिर भी सरकार चाहती है कि 30 नवम्बर तक ही भण्डारण हो, तो खराब होने वाले आलू पर सरकार मुआवजा दें। और यह भी बताए कि इस खराब आलू को जो बिक भी नही रहा है कहाँ फेकें।

GS117/CSA27/121/2017 November 24, 2017

The Principal Secretary,
Horticulture Uttar Pradesh,
Room No.201, Bapu Bhawan,
Vidhan Sabha Marg,
Lucknow-226001 (U.P.)
Phone : 0522-2238244

Dear Sir,

Subject : Extended period of Storage i.e. beyond October, till end of November
Reference : Reminder - our letter GS117/CSA/121 dated July 26, 2017

Please note that at present 15% of potato or more than that stored inside the cold storage has got damaged. This is just because of extended storage period. Potato has got maximum shelf life of seven to eight months. This confirms our statement that potato should not be stored beyond October 31.

Further, please note that even good potato remaining inside the cold storages has got no market value. Now new crop has come in, which usually comes in last week of October. Thus the storer is suffering by way of extended storage period. By the end of 31st October, if little potato is left, then it can be sold in the first week of November, but there is no buyer in end of November and in the month of December. This potato has become sweet and damaged. Insurance cover has also expired by 31st October. →

If Government still wants to retain 30th November as last date, then must should arrange for some compensation to the damages to the storer and also should arrange for the place where to dispose of this rotten potato. Cold storages are not getting any place to dispose off rotten and damaged potato. Even farmers are not allowing their fields to throw the potato. On roadsides, Civil Authorities are restricting and raising objection.

Kindly consider our request sympathetically and judiciously.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Cold Storage Association U.P.**

(Mahendra Swarup)
President

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम एवं नियमावली–1976 में अपेक्षित संशोधन हेतु शीतगृहो की ओर से सलाह :–

417 / सीं.एस.ए.27 / 81 / 2017 दिनाक 25.11.2017

वर्तमान धारा	संशोधन
धारा 1–(छ)	
लाईसेन्स अधिकारी का तात्पर्य उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और धारा 17 के स्पष्टीकरण के सिवाय इसके अन्तर्गत उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी की किसी या सभी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त निम्नलिखित अधिकारी भी हैं – 1. उद्यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो। 2. राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो परगना अधिकारी के पद से नीचे का न हो।	निदेशक, उद्यान जिन्हे इस अधिनियम के अर्न्तगत समस्त शक्तियॉ प्रदत की गई है उन्होने केवल लाईसेन्सिगं अधिकारी वाली शक्ति जिला अधिकारी को, जो की प्रत्येक जिले के होंगे, को दे दी है। व्यवहार में होता यह है की जिला अधिकारी बहुत व्यस्त होते है और वह अपनी शक्ति किसी और अधिकारी मे प्रदत कर देते है जो कि नियम के विरुद्ध है। नियमानुसार, जिस अधिकारी को शक्ति प्रदत्त की जाती है वह दूसरे को शक्ति प्रदत्त नही कर सकता। यह भी देखा गया है कि जिला अधिकारी या उनके भी द्वारा नामित अधिकारी पूरे अधिनियम के बारे मे अपना हस्तक्षेप करते है। →

यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि लाईसेन्सिगं अधिकारी की शक्तियों की व्याख्या की जाए और यह भी बता दिया जाए की उन्हें कौन–कौन सी धाराओं के अर्न्तगत शक्ति प्रदत्त की गई है।

कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदर्शित करने का कर्तव्य

धारा 13

प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वारा पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा :–

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में)।

(ख) वस्तुतः अध्यासित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में)।

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में)।

शीतगृह की क्षमता प्रतिदिन क्षेत्रफल मे निकालना सम्भव नही है अतः इसको केवल भार के रूप मे देना ही उचित होगा। शीतगृह की क्षमता निकालने के लिए जो भी फार्मूला प्रयोग मे लाया जा रहा है उसमे संशोधन की आवश्यकता है।

यह शिकायत आ रही है कि चालू फार्मूले से शीतगृह की क्षमता काफी घटी हुई निकलती है और शीतगृहो को बहुत अधिक हानि हो रही है।

धारा 17

1. जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियन्त्रण से परे हो खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की सम्भावना हो या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल को रसीद में उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनाक से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेन्सधारी किरायादाता को तुरन्त उसका

किसी भी शीतगृह में माल खराब होने की दशा में या ऐसी दशा में जब की यह आशंका हो कि अब उसको सुरक्षित रख पाना शीतगृह की बस की बात नहीं है, शीतगृहस्वामी को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह सम्बधित जिला अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, बीमा कम्पनी और भन्डारणकर्ता को सूचित करे वा भन्डारणकर्ता को एक पत्र डाक द्वारा भेजे। इसके साथ किसी एक समाचार पत्र से →

नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायगी और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा।

2 जहां किरायादाता उपधारा 1 में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है परन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री के कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व सूचना देगा और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पयवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

स्पष्टीकरण : सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि को इस धारा के अन्तर्गत खराब होना समझा जायगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करें।

3. यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की किरायादाता को भी सूचना भेजे और इनके तुरन्त बाद जिला उद्यान अधिकारी के समक्ष आलू के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दे और शीघ्र अति शीघ्र खराब आलू की बिकी कर उसे और खराब होने से बचाए।

ऐसा करने में खराब होता आलू और खराब नही होगा और वीमा के क्लेम देने के नियम में भी रूकावट नहीं आएगी। अन्यथा पॉच अधिकारियों को सूचित करना। तीन समाचार पत्रो में प्रकाशित करना, 7 दिन तक भन्डारर्णकर्ता का इन्तजार करना वा भन्डारर्णकर्ता को नोटिस तामील कराने मे भी, इतना समय निकल जाऐगा कि आलू बुरी तरह खराब होता चला जाएगा और बीमा कम्पनी कोई क्लेम नहीं देगी।

<u>इस संशोधन में बीमा कम्पनी की सलाह लेना बहुत जरूरी है।</u>

तौल या भार अधिक हो जाय तो लाइसेन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा।

धारा 22

यदि लाईसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गयें किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा मे, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनो के लिए स्टेट बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष मे गिरवी रखे गये माल के सम्बन्ध मे ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नही होगी।

स्टेट बैक का नाम हटा कर किसी भी बैक का कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सब कोल्ड स्टोरेज केवल स्टेट बैक ऑफ इण्डिया से व्यवहार नहीं करते।

धारा 23

प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट फूट चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा कराये।

इस धारा में सरकार यह प्रतिबन्ध लगा रही है कि शीतगृहस्वामी आलू सड़ने का बीमा भी कराए और माल खराब हो जाने पर क्लेम भी दे। इससे स्पष्ट है कि सरकार बीमा कम्पनी को सिर्फ प्रीमियम वसूल करने की मशीन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे बीमे का क्या फायदा।

धारा 25

1. धारा 24 के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय प्रतिकर सम्बन्धी प्रत्येक विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा और धारा 36 के अधीन अपील के यदि कोई हो परिणाम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।
2. जब लाइसेन्स अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा 1 के अधीन

प्रतिकर के सम्बन्ध में लाइसेन्सिंग अधिकारी सीधा बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें।

→

लाइसेन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा 1 के अधीन आदेश के दिनाक से या यथास्थिति धारा 36 के अधीन अधीकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह कलेक्टर को वसूली का प्रमाण पत्र जारी करेगा और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान उसमें से खर्च काटने के पश्चात किरायादाता को करेगा।

धारा 29 (3)

यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेन्सधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है वो उपधारा (1) के उपबगधो के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेन्सधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय एवं जिसमें निश्चित किये जाये के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे।

भन्डारण प्रभार युक्तियुक्त है या नहीं यह इस सम्बन्ध के विशेषज्ञ ही बता सकते है जैसे चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, Chartered Accountant, सरकारी इवेलुयर Government Evaluer, आदि। सरकार एक बाडी का गठन करे जिसमें उक्त प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो तथा यह बाडी पूर्णत्या स्वतन्त्र हो। इनके द्वारा भन्डारण प्रभार का निर्धारण, निष्पक्ष वा सर्वमान्य होना चाहिए।

धारा 38 (1)

यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्य–संचालन के लिये प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उन अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस दशा मे केवल मैनेजर या मैनेजिग डायरेक्टर या वह व्यक्ति जो सीधे रूप से शीतगृह का संचालन देख रहा है दोषी माना जाऐगा। प्रायः यह देखा गया है कि अपराध हो या ना हो →

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नही होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सब तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मत्ति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है, तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा। **स्पष्टीकरण** : इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियो का अन्य समुदाय भी है, और (ख) निदेशक का तात्पर्य किसी फर्म के सम्बन्ध में, उस फर्म के भागीदार से है।

यह तो बाद मे तय होता है, कम्पनी के सारे पार्टनर/डायरेक्टर के नाम से एफ.आई.आर. करा दी जाती है और इस प्रकार इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया है।

धारा 39 (1)

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

शीतगृह अधिनियम की कोई भी धारा का उल्लंघन संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। अपराध हो सकता है। उस दशा में दण्ड का प्राविधान किया जा सकता है। शीतगृह कोई criminal कार्य नहीं कर रहे है।

→

यह तो सीधा भाड़े पर भन्डारण का व्यवसाय है।

नोट : अग्नि शमन के बारे में अवश्य स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसमें पुराने बने शीतगृह और नए शीतगृह दोनों के लिए स्पष्ट व्याख्या हो। इस समय शीतगृह सबसे ज्यादा अग्नि शमन अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किये जा रहे है।

417 / सीं.एस.ए.27 / 82 / 2017 दिनाक 27.11.2017

हमारे द्वारा सुझाए गए उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 के सम्बन्ध मे बिन्दु :–

धारा–3 (11)

वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित निम्नलिखित आदेशों का अनुसरण किया जायेगा :–

i. रैकों की पक्तियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।

ii. रैक दीवालों / फर्शों से कम से कम 20 सेन्टीमीटर की दूरी पर रखे जायेंगे।

iii. प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।

iv. रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शैल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर खाली जगह रखी जानी चाहिये।

नाप–नाप कर बोरों की पंक्तियाँ लगाना सम्भव नहीं होता। इसे मोटे तौर पर बताया जाना ही उचित रहेगा।

11. (क) एक स्टेक में एक दूसरे से ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

एक के ऊपर एक छः बोरे रखे जाने का नियम जब सही था जब 65 से 90 किलो के बोरे आते थे। अब तो 50 किलो के पैकेट आते

→

है। अतः उनका एक ऊपर 9 (नौ) का रखा जाना न्यायसंगत होगा।

11. (ख) प्रत्येक बोरों की कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़ी जायेगी।

प्रत्येक कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़े जाना सम्भव नहीं होता। ऐसी कतार लगाई नहीं जा सकती।

धारा–3

(18) जहाँ लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज मे अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहाँ वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित लाइसेन्स अधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा, जिसमे उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर का विचार हो, उल्लिखित की जायेगी, और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतःप्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।

इस नियम के अर्न्तगत लासेन्सधारी को लाइसेन्स अधिकारी से अपना माल रखने के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता है। व्यवहार मे अनुज्ञा मिलते मिलते आलू खरीदने वा भन्डारण करने का समय निकल जाता है और शीतगृह की क्षमता खाली रह जाती है। इस नियम में बदलाव आवश्यक है। यह नियम कर दिया जाना चाहिए कि शीतगृहस्वामी यदि अपना माल भन्डारित करना चहता है तो भन्डारित करने से पहले लाइसेन्सिंग अधिकारी को इसकी लिखित सूचना देगा और यदि तीन दिन के अन्दर उसे उत्तर नही मिलता, तो यह माना जाऐगा की लाइसेन्सिंग अधिकारी की सहमति है।

चेन्नई मीटिंग के सम्बन्ध मे:

दिनांक 18.11.2017 को चेन्नई मे फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की मीटिंग सम्पन्न हुई। इसमें करीब 125 शीतगृहस्वामी उपस्थित हुए। तमिलनाडू वा आन्ध्र प्रदेश से काफी शीतगृहस्वामियों ने हिस्सा लिया।

मीटिंग के कार्यक्रम की देखभाल वा संचालन एसोसिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस–तमिलनाडू ने किया जो बहुत ही बढ़िया तरीके से था। भोजन की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी। 18 तारीख की शाम को एसोसिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस–तमिलनाडू ने सबके लिए मन्दिर दर्शन वा कॉकटेल डिनर का इन्तजाम किया था जो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया था।

→

मीटिंग में GST पर विस्तार से चर्चा की गई और यह पाया गया कि वह शीतगृह जो ऐसे कृषि उत्पाद जिनकी जरा भी प्रोसेसिंग हो गई है GST के दायरे मे आते है। सीधे कृषि उत्पाद रखने वाले शीतगृह जैसे आलू, लाल मिर्च आदि GST में नहीं आते।

दिन के समय Danfoss Company ने अपनी फैक्ट्री भ्रमण का प्रोग्राम भी रखा था जो बहुत ही शानदार था। वहाँ पर ही खाने की व्यवस्था भी की गई थी। Danfoss के अधिकारियों के साथ हमारे कुछ सदस्यों की फोटो यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

कोल्ड स्टोरेज और Logistics को ढाँचागत क्षेत्र में सम्मिलित किया गया :–

श्री Vivek Savla, Navi Mumbai Cold Storage Owners Welfare Association, Navi Mumbai ने हमें सूचित किया है कि पूरी कोल्ड चेन सुविधा को ढाँचागत क्षेत्र मे शामिल किया गया है यानि Infrastructure status दिया गया है। इसके अर्थ यह होंगे कि यदि कोई ईकाइ 15 crore रूपए से ऊपर है और कम से कम 20,000 square feet में फैली हुई है तो उसे ढाँचागत इकाई माना जायेगा। इस इकाई को पहले पाँच साल तक लोन ना Pay करने की छूट होगी। →

World Food India 2017 के बारे में :–

दिल्ली में दिनांक 3 से 5 नवम्बर, 2017 को भारत सरकार के द्वारा World Food India 2017 का आयोजन किया गया था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की ओर से फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया ने भी एक स्टाल लगाया। आगरा के कुछ शीतगृहस्वामी इस स्टाल पर जाकर बैठें। यह स्टाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। यहाँ पर हम आगरा के शीतगृहस्वामियों की और फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के स्टाल की फोटो प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जैन युवा सम्मेलन :–

राष्ट्रीय जैन युवा सम्मेलन मध्य प्रदेश मे आयोजित किया गया। उस मे 3000 से ज्यादा युवा वा 40 से ज्यादा युवा संगठनो ने हिस्सा लिया।

इसके मुख्य संयोजक श्री हंसमुख जैन गॉधी रहे जो कि अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कोल्ड चेन इन्डस्ट्रीज व फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के कोषाध्यक्ष व डायरेक्ट्रर व फाईनेन्स कन्ट्रोलर है, को सम्मानित किया गया, उसका चित्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित